

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in. Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/2285

दिनांक : 09.03.2026

आदेश

सां.आ. 160/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 73 के परन्तुक में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार किसी निर्वाचन में परिणाम की घोषणा के पश्चात् प्रयुक्त मतदान मशीनें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में ऐसी रीति से रखी जायेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करे ;

अतः उक्त नियम 73 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक 3718/01.10.2019 (सां. आं 119/2019) को अधिकमित करते हुए निम्नांकित निर्देश जारी करता है:-

- (1) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के तुरन्त पश्चात् नियम 63-ख के अन्तर्गत बतायी गयी रीति से नियंत्रण यूनिटों (Control Units) को उनके वहन बक्सों में रखकर सीलबन्द किया जाएगा। आवश्यकतानुसार मतगणना के दौरान खोली गई मतदान यूनिटों (Ballot Units) को भी उनके वहन बक्सों में रखकर सीलबन्द किया जाएगा। इस प्रकार सभी नियंत्रण यूनिट (Control Unit) एवं खोली गई मतदान यूनिटों (Ballot Units) सहित समस्त मतदान यूनिटों (Ballot Units) के वहन बक्सों को रिटर्निंग अधिकारी इनके प्रयोजनार्थ तैयार किए गए बड़े बक्सों/सन्दूकों में रखेगा; तत्पश्चात् उसी दिन इस हेतु नियत किए गए स्थान पर दो तालों के अन्दर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- (2) प्रत्येक बड़े बक्सों या सन्दूक के एक ताले की चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं के पास रखी जायेगी। प्रत्येक बड़े बक्से या सन्दूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं रिटर्निंग अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द की जायेगी।
- (3) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से निर्वाचन की स्थिति में परिणामों की घोषणा के पश्चात् इन ईवीएम मशीनों के वहन बक्सों को सील करने की आवश्यकता नहीं है एवं इनका भण्डारण भी बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में अंकित ईवीएम के साथ नहीं किया जाना है। चूंकि इन ईवीएम को पुनः मतदान के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, अतः इनको पृथक भण्डारगृह (Warehouse) में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

इन मशीनों से निर्वाचन की स्थिति में परिणामों की घोषणा के पश्चात् कन्ट्रोल युनिट (Control Units) में प्रयुक्त हुए सिक्वोर डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल (SDMM) एवं डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल (DMM) को ही सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। एसडीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 705 दिनांक 20.01.2026 एवं डीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 826 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान किए हुए हैं।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/2286-2291

दिनांक :- 09.03.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने, राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव